रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936
No. 2522] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3121(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1399(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के नागपटिनम–तंजावुर–त्रिची–करूर–कोयम्बतूर–मेत्तुप्लायम–तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा सेक्शन के 0.000 कि.मी से 504.400 कि.मी तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाषित किया गया था तथा जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा. का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–67 के 218.200 कि.मी. से 277.400 कि.मी. तक करूर से कंगेयम सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर और नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन की सड़क की 59.200 कि.मी. लम्बाई के लिए आधार दर के 60% की दर से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थातः–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
करुर जिले में थेन्नीलई गांव में 241.600 कि.मी. पर	59.200 कि.मी.	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पचीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए शुल्क के दस गुना के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी –1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात् उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रजी और स्थानीय भाषा में, कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9.. 30.06.2010 के अनुसार परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 132.12 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा।

[फा. स. भाराप्रा/13013/584/10–11/सीओ/जीसी करूर (218.2–277.4 और 277.4–332.6)]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O.3121(E).— Whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1399 (E) dated 27th September, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 504.400 of Nagapatinam – Thanjavur – Trichy – Karur – Coimbatore – Mettupalayam – Tamil Nadu/ Karnataka Border section of National Highway number 67 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 amended vide G.S.R 950 (E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, and G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 (hereinafter referred to as the Rules'), the Central Government, hereby notifies that there

shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Karur to Kangeyam section from kilometer 218.200 to kilometer 277.400 of NH-67 in the State of Tamil Nadu, on the Type of Vehicles specified in column(1) at the rate specified in columns (2) of Table 1 below (hereinafter referred to as "base rate") at 60% of base rate for the two lane with paved shoulders road length of 59.200 km, on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and authorises the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 241.600 in Thennilai Village in Karur District	59.200 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under sub-rule (2) of rule 4.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The actual capital cost of the project is Rupees 132.12 crores as on 30.06.2010. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/584/10-11/CO/GC Karur (218.2-277.4 & 277.4-332.6)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3122(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के नागपटिनम–तंजावुर–त्रिची–करूर–कोयम्बतूर–मेत्तुप्लायम–तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा सेक्शन के 0.000 कि.मी से 504.400 कि.मी तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–67 के 277.400 कि.मी. से 332.600 कि.मी. तक (290.980 कि.मी. से 291.850 कि.मी. तक को छोड़कर) कंगेयम से कोयम्बतुर सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर,स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन की सड़क की 54.330 कि.मी. लम्बाई के लिए आधार दर के 60% की दर से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

2. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तिरुपुर जिले में पोंगलूर गांव के पास 300.000 कि.मी. पर	54.330 कि.मी.	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पचीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी को

IndiaCode

अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवश कराने के लिए नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए शुल्क के दस गुना के बराबर राषि का भुगतान करना होगा।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी –1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे कर लिए गए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी उसे प्राधिकरण द्वारा, अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगाऔर तत्पष्चात् उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और उसे अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9.. 30.06.2010 के अनुसार परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 122.92 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें वार्षिक रूप से संषोधन किया जाएगा।

[फा.स. भाराराप्रा / 13013 / 584 / 10–11 / सीओ / जीसी करूर(218.2–277.4 और 277.4–332.6)]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3122(E).— Whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1399 (E) dated 27th September, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 504.400 of Nagapatinam – Thanjavur – Trichy – Karur – Coimbatore – Mettupalayam – Tamil Nadu/ Karnataka Border section of National Highway number 67 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 amended *vide* G.S.R 950 (E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, and G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 (hereinafter referred to as the Rules'), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Kangeyam to Coimbatore section from kilometer 277.400 to kilometer 332.600 (excluding km 290.980 to km 291.850) of NH-67 in the State of Tamil Nadu, on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of base rate for the two lane with paved shoulders road length of 54.330 km, on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and authorizes the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 300.000 near Village Pongalur in Tiruppur District	54.330 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under sub-rule (2) of rule 4.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the project highway. The same shall be got published in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The actual capital cost of the project is Rupees 122.92 crore as on 30.06.2010. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/584/10-11/CO/GC Karur (218.2-277.4 & 277.4-332.6)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.